न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक0प्रक0क0-478/15</u> संस्थापित0दि0 17/08/15 फाईल0नं.233504003112015

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

____<u>अभियोजन</u>

-: <u>विरूद्ध</u>:-

- 1. लीलाबाई पति चिरोंजी, उम्र 51 वर्ष,
- 2. मोना पति कमल, उम्र 26 वर्ष,
- 3. अनिता पति मुरली, उम्र 27 वर्ष,
- मुरली पति चिरोंजी, उम्र 41 वर्ष, उक्त सभी:—जाति पंवार, पेशा किसानी, ग्राम परसोड़ी, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

---- <u>अभियुक्तगण</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक—31/08/2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 294, 323(दो—बार), एवं 506 भाग—2 के तहत् अभियोग है कि दिनांक 11/07/15 समय 11.00 बजे करीबन प्रार्थिया भूलीबाई के घर के बाजू में थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी भूलीबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया, आपने सह—अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भूलीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में आप अभियुक्तगण ने फरियादी भूलीबाई एवं कविता को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम परसोड़ी रहती है। गृहकार्य करती है। उसके घर के बाजू में चिरोजी पंवार का मकान है। दोनों के मकान के बीच में रास्ता है। उस बात पर आज मोना और उसकी मॉ लीलावती ईट रखकर रास्ता बंद कर रही थी तो उनको बोला मना किया रास्ता रोकोगे तो उसके

साथ एवं उसकी देवरानी के कविता के साथ नंगी—नंगी माँ बहन की गालियाँ दिया और हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगी। तभी मुरली और उसकी औरत अनिता भी आ गई वह भी खूब गालियाँ दिया और उन्होंने भी हाथ मुक्के से मारपीट किया। चारों ने उन दोनों के साथ बीच बचाव सुमित्रा और शिव के बीच बचाव बचाव किया तो जान से मारने की धमकी दिया। चारों ने जान से खतम कर देने की धमकी दिया। उसे चोट दाहिने हाथ के पंजे में लगी, बांये हाथ के पंजे दाहिने पैर की पिडली पर ईट मारने से चोट लगी देवरानी कविता को सीने एवं पीठ में मूंदी चोट लगी फिर पित जगदीश देवरानी कविता के साथ रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे। 3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पीठ 1 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अपठकंठ—380 / 15 कायम कर अभियुक्त के विरुद्ध भाठदंठिठ धारा—294, 323, 34, 506 भाग—2 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 12.07. 15 को नक्शा मौका प्र0पीठ 2 तैयार किया गया। फरियादी व आहतगण का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

: न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

5-

1—''क्या दिनांक 11/07/15 समय 11.00 बजे करीबन प्रार्थिया भूलीबाई के घर के बाजू में थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी भूलीबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया,?''

2— "उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भूलीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में आप अभियुक्तगण ने फरियादी भूलीबाई एवं किवता को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की?" 3— "उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?"

—ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 2 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी भुली (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय गोबर फेंकने गई थी तो उसने आरोपी अनिता ने पकड़ लिया मुरली ने गिरा दिया, फिर चारों आरोपीगण ने उसके साथ ईट का टुकडे से मारपीट की। यह गवाह फरियादी है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय गोबर फेंकने गई थी तो आरोपी अनिता ने पकड़ लिया, मुरली ने निचे गिरा दिया, फिर चारों आरोपीगण ने ईट के टुकड़े से मारपीट की। उक्त तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है।

7— प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष ने ऐसे तथ्य नहीं लाए है कि उक्त तथ्यों को अविश्वास किया जा सके। बल्कि प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उनका आरोपीगण का जमीन के रास्ते को लेकर विवाद है। अर्थात् उनके बीच में रंजिश है और रंजिश दो धारी तलवार होती है और उक्त रंजिश के कारण अभियुक्तगण को झूठा भी फंसा सकती है और मार भी सकती है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसे रास्ते में गोबर फेंकने के लिए मना नहीं करते तो वह आरोपीगण की रिपोर्ट नहीं करती। अर्थात् गोबर फेंकने के लिए ही आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट की है।

8— क्योंकि उक्त तथ्यों का समर्थन डां० एन०के० रोहित (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया है कि दिनांक 11/07/15 भूलीबाई के शरीर पर निम्न चोट पाई थी जो चोटः नं0—1 दांहिनी हथेली पर 3 गुणित 3 से०मी० आकार की सूजन एवं दर्द पाया गया, उस चोट के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। चोट नं0—2 दांहिनी अग्रभुजा पर 3 गुणित 2 से०मी० आकार का सूजन एवं दर्द पाया गया था। चोट नं0—3 दांहिनी कोहनी की जोड़ पर खरोंच का निशान पाया गया था। चोट नं—4 बांये हाथ की हथेली पर 3 गुणित 2 से० मी० आकार का सूजन एवं दर्द पाया गया। चोट नं0—5 दांहिनी पैर के पंजे पर 2 गुणित 1 से.मी. आकार का खरोंच का निशान पाया गया। उक्त चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि फ्रेश थी। बचाव पक्ष की ओर से उक्त चोट के संबंध में सुझाव दिया गया है जिसे गवाह ने स्वीकार किया है यदि कोई मोटर साईकिल चलाते हुये बार—बार जमीन पर लुड़कते हुये गिर जाये तो इस प्रकार की चोट आना संभव है।

9— किन्तु उक्त सुझाव के संबंध में फरियादी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि वह घटना के समय मोटर साईकिल चला रही थी और वह बार'—बार मोटर साईकिल से गिरी, इस कारण उसे चोट कारित हुई। उक्त तथ्य को न लाने के कारण यही माना जायेगा कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट की गई है, इस कारण आहत भूलीबाई के शरीर में चोट कारित हुई। क्योंकि उक्त चोट के संबंध में डां० एन०के० रोहित ने पुष्टि की है।

10— अभियोजन साक्षी कविता (अं0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसकी जेठानी भुलीबाई गोबर फेंकने जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपीगण ने ईट के टुकड़े से मारपीट कर रहे थे, वहां पर उसके ससुर शिव भी थे। वह बीच बचाव करने गई तो उसे भी चारों ने मारा था, उसे ईट के टुकड़े लगे थे। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी जेठानी गोबर फेंकने गई थी वह घर में थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। और इस गवाह ने भी आरोपीगण से जमीन को लेकर विवाद है, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा भी जमीन को लेकर विवाद होने

की रंजिश है। आरोपीगण एवं फरियादी के बीच रंजिश दो धारी तलवार होती है जो कि उक्त रंजिश के कारण अभियुक्तगण को फरियादी झूठा भी फंसा सकती है और मारपीट कभी कर सकती है। बचाव पक्ष ने ऐसे तथ्य नहीं लाए है कि जिससे यह माना जा सकें, मात्र जमीन के विवाद को लेकर झूठी शिकायत की है।

- 11— डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि श्रीमित किवता के पेट और छाती में दर्द था। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 4 है जिसे इस गवाह ने अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। बचाव ने प्रतिपरीक्षा में ऐसा तथ्य नहीं लाए है जिससे यह माना जा सके कि आहत किवता के छाती एवं पेट में जो दर्द था वह अभियुक्तगणों के द्वारा मारपीट करने से दर्द नहीं हुआ था, बिल्क उसे अन्य किसी कारण से दर्द उसके शरीर पर हो रहा था, ऐसा भी बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में कोई तथ्य नहीं लाए है बिल्क डां० एन०के० रोहित (अ०सा०४) की साक्ष्य से यह पुष्टि होती है कि अभियुक्तगणों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने से आहत किवता के छाती एवं पेट में दर्द हुआ।
- 12— अभियोजन साक्षी सुमित्रा (अ०सा०५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के भुलीबाई गोबर फेंकने जा रही थी, तो उसके साथ चारों आरोपीगण ने ईट से मारपीट कर उसे गंदी—गंदी गालियाँ दी थी। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि किसने किसको मारा, उसने नहीं देखा। आगे इस गवाह ने स्वतः कहां कि उसने देखा है। अर्थात मारपीट करते हुये देखा है, जिससे फरियादी भूलीबाई एवं कविता को चोट कारित हुई। इस गवाह की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि आरोपीगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में भूलीबाई और कविता को चोट कारित की।
- अभियोजन साक्षी शिव (अ०सा०६) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह पर दुसरी दीवाल डालने लगे जिससे गाय बैल को आने जाने में परेशानी होती है, तो उसने कहा झगड़ा मत करो तो आरोपी मुरली को कहा कि आने—जाने को रास्ता दे दो, तो आरोपी लीलाबाई, अनिता, मोनाबाई, मुरली ने भुलीबाई को ईट से मारपीट की थी। घटना उसने देखी थी। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह अस्वीकार किया है कि किसने किसको मारा उसने नहीं देखा। अर्थात् इस गवाह ने आरोपीगण को मारपीट करते हुये देखा है। इस प्रकार इस गवाह की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा से यही स्पष्ट होता है कि सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी भूलीबाई आहत कविता को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति करित की।
- 14— अभियोजन साक्षी एस0एस0 पटेल (अ0सा04) का कहना है कि वह दिनांक 12/07/15 को घटना स्थल पर जाकर फरियादी भूलीबाई के निशानदेही पर निरीक्षण कर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0—2 तैयार किया गया है उसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 12/07/15 को फरियादी भूलीबाई साक्षी कविता, शिवपिपराज, सुमित्राबाई, लीलाबाई, अनिताबाई और मुरली पंवार को न्यायालय उपस्थित हेतु नोटिस तामिल कराये जो प्र0पी0—5 लगायत 8 है उसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में अस्वीकार किया है कि उसने घटना का नक्शा

मौका थाने में बैठकर तैयार किया था। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि घटना स्थल पर नहीं गया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने फरियादी और साक्षियों के कथन थाने में बैठकर ले लिए थे।

15— साथ ही घटना नक्शा मौका प्र0पी0 2 को फरियादी भूलीबाई ने भी अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। साक्षी भूलीबाई, कविता, सुमित्रीबाई ने कथन देने के तथ्यों का समर्थन किया है। इस प्रकार विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही विश्वसनीय प्रतीत होती है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य घटना घटित होने के तथ्यों की सम्पुष्टि करती है।

16— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण लीलाबाई, अनिताबाई, मोनाबाई, मुरली के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी भूलीबाई एवं आहत कविता को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारत की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 2 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 1 और 3 का निराकरण

17— अभियोजन साक्षी भूलीबाई (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपीगण ने उसे बोला कि मादर चोद यहां से रास्ता बंद करो और उसे भी गंदी—गंदी गालियाँ दी, जो सुनने में गलत लगी। किन्तु अन्य स्वतंत्र गवाहों ने उक्त गाली का समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में भी मादर चोद की गाली का उल्लेख नहीं है। धारा 161 द०प्र०सं० के कथनों में फरियादी भूलीबाई के उक्त गाली का उल्लेख नहीं है। उसके कथनों में गंदी—गंदी गाली का उल्लेख है। इससे यह दर्शित होता है कि भूलीबाई ने अभियुक्त को फंसाने की मंशा से बढ़ा—चढ़ाकर उक्त गाली को बताया है। घटना स्थल पर फरियादी भूलीबाई को उक्त गाली दी गई हो जिससे उसे व अन्य को क्षोभ कारित हुआ हो, यह स्पष्ट नहीं होता है।

18— अभियोजन साक्षी भूलीबाई (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसे किस प्रकार की जान से मारने की धमकी दी। जिसका प्रभाव उस पर पड़ा हो, और फरियादी भूलीबाई ने ऐसा कोई कृत्य किया हो, जिसका प्रभाव उसके शरीर पर पढ़ा हो, किन्तु भूलीबाई ने घटना दिनांक 11/07/15 की है समय 11 बजे की है और थाने पर सूचना उक्त दिनांक को 13:40 बजे दी है। जिससे यह दर्शित होता है कि फरियादी भूलीबाई को ऐसी कोई धमकी नही दी गई। जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण ने फरियादी भूलीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कृं. 1 व 3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

19— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगणों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी भूलीबाई व आहत कविता को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण के द्वारा लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए

जिससे फरियादी भूलीबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा युक्ति—युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण लीलाबाई, सुनिता, मोना और मुरली को भा0द0वि0 की धारा—323(दो बार) के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपीगण लीलाबाई, सुनिता, मोना, मुरली को भा0द0वि0 की धारा 294 एवं 506(भाग—2) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेंणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0

20— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री हिराम चौधरी ने व्यक्त किया गया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है और वे घर के गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त लीलाबाई की उम्र 65 वर्ष है। अभियुक्त अनिता की उम्र 30 वर्ष, मोनाबाई की उम्र 26 वर्ष, अभियुक्त मुरली की उम्र 40 वर्ष की है। परिवार में कर्ता सदस्य मुरली ही है। अभियुक्तगण विवाहित है उनके घर में छोटे—छोटे बच्चे है और अभियुक्तगण के जेल जाने से उनके सामाजिक जीवन एवं आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। उक्त अभियुक्तगण को उनके प्रथम अपराध एवं आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मात्र उन्हें अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

21— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया। अभियुक्तगण का प्रथम अपराध एवं उनकी उम्र को दृष्टिगत रखते हुये उनकी आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुये और उनके घर में छोटे—छोटे बच्चों को दृष्टिगत रखते हुये और यह प्रकरण न्यायालय में लगभग 1 वर्ष विचारण रहा है। उक्त परिस्थितियों में प्रत्येक अभियुक्तगण को मात्र अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अतः प्रत्येक अभियुक्तगण लीलाबाई, अनिताबाई, मोनाबाई, मुरली को भा0द0वि० की धारा 323 (2 बार) के अपराध में फरियादी भुलीबाई आहत कविता के प्रति 500/—, 500/—(पांच—पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को 1—1 (एक—एक) माह का साधारण कारावास से भुगताया जावे।

22— अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। 23— द.प्र.सं. की धारा 357(3) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति स्वरूप फरियादी भूलीबाई को 2000/—रूपये तथा आहत कविताबाई को 1500/—रूपये प्रदान किया जावे।

24— दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के पूर्व प्रस्तुत जमानत, मुचलके

भारमुक्त किये जावे। 25— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं है। निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0